प्रेस नोट
दिनांक 07.12.2024

साइबर थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन साइबर कवच के अन्तर्गत दो अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन, 1600 रू0 नगद व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–

गोण्डा। जनपद गोण्डा में चलाये जा रहे साइबर कवच अभियान के अन्तर्गत साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर थाने एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा साइबर थाने में पंजीकृत मु0अ0सं0–12/2024 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 66डी आई0टी0 एक्ट, मु0अ0सं0–13/24, धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 66डी आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों–01. जीवन नाथ मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा पुत्र कमलेश्वर मिश्रा 02. कमलेश्वर मिश्रा पुत्र अयोध्या मिश्रा निवासीगण लच्छीपुर (नगरहन पूरवा) थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को पथरी बाजार से लच्छीपुर से जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल फोन, 1600 रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 30.11.2024 को पीड़िता पूनम जायसवाल पत्नी हरिवंश निवासिनी ग्राम खजुरी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा व दिनांक 06.12.2024 को पीड़ित चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चित्रकेश सिंह नि0 ग्राम सुल्तानजोत पोस्ट दर्जीकुआं थाना को0 देहात द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा को जनसुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके सीएसपी एकाउन्ट को साइबर अपराध में संलिप्ता के आधार पर फ्रीज कर दिया गया है। जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा साइबर सेल को दी गयी थी। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि पीड़ित पूनम जायसवाल के ग्राहक सेवा केन्द्र पर दो व्यक्तियों द्वारा 1,00000/– रू0 आनलाइन पैसा ट्रांसफर करवाकर नगद धनराशि ले गए थे तथा पीड़ित चन्द्र प्रताप सिंह के ग्राहक सेवा केन्द्र से 55600 पीड़ितों के सीएसपी एकाउन्ट में की गयी धनराशि साइबर ठगी से सम्बन्धित थी जिसके सम्बन्ध में बिहार के पीड़ितों द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिस कारण पीड़ितों का खाता फ्रीज हो गया था। साइबर सेल की जांच के उपरान्त साइबर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 07.12. 2024 को साइबर क्राइम थाने की संयुक्त टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये दो आरोपी अभियुक्तों–01. जीवननाथ मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा, 02. कमलेश्वर मिश्रा पुत्र अयोध्या मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद कीपैड मोबाइल, 01 अदद एनड्राइड मोबाइल फोन, 1600 रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना साइबर क्राइम गोण्डा द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका–

अभियुक्तगण द्वारा पहले जिस राज्य में ठगी करना होता है वहां पर जाकर बिल्डिंग मैटेरियल, ईंट, भठ्ठों के मालिकों के मो0नं0 की जानकारी करते है व उनसे मिलकर अपने आपकों ठेकेदार बताते हुए खरीददारी की बात कर उन्हे विश्वास में लेते है और जितने रूपये में माल की खरीददारी की बात तय होती है उससे अधिक धनराशि का कूटरचित बैंक डिपॉजिट का मैसेज बनाकर उन्हें बैंक अवकाश के दिन भेजते है और उनसे कहते है कि गलती से आपके एकाउण्ट में तय धनराशि से

अधिक पैसा चला गया है उसे आप वापस कर दीजिए हमे किसी और को भी पैसे भेजने है। लोगों द्वारा ज्यादा पैसे साइबर अपराधियों द्वारा दिए गए क्यू0आर0कोड0 जो कि किसी न किसी सीएसपी (ग्राहक सेवा केन्द्र) का होता था उस पर भेज देते है। जिन पैसों को साइबर अपराधियों द्वारा सीएसपी केन्द्र के संचालको से वार्ता कर उनके दोस्त द्वारा सीएसपी केन्द्र के क्यू0आर0कोड में भेजे गए पैसे बताकर निकाल लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01.जीवन नाथ मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा पुत्र कमलेश्वर मिश्रा नि0 लच्छीपुर (नगरहन पूरवा) थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

02. कमलेश्वर मिश्रा पुत्र अयोध्या मिश्रा नि0 लच्छीपुर (नगरहन पूरवा) थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–12/2024 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 66डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0–13/2024 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 66डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरणः–

01. 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन।

02. 01 अदद एन्ड्राइड फोन।

03. 1600 रू0 नगद।

04. 01 अदद घटना में प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल।

अभियुक्त कमलेश्वर मिश्रा का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0–155/21, धारा 406,419,420,467,468,471, भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना कलवारी बस्ती।

02. मु0अ0सं0–154/21, धारा 419,420,468,471 भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना लालगंज जनपद बस्ती।

03. मु0अ0सं0–498/21, धारा 406,419,420 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

04. मु0अ0सं0–206/2016, धारा 174ए भादवि थाना विसरख मध्य कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त जीवननाथ मिश्रा का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–154/21, धारा 419,420,468,471 भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना लालगंज जनपद बस्ती।

02. मु0अ0सं0–155/21, धारा 406,419,420,467,468,471, भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना कलवारी बस्ती।

03. मु0अ0सं0–02/22, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 सत्य प्रकाश यादव साइबर क्राइम थाना जनपद गोण्डा।

02. हे0का0 मोहन यादव थाना साइबर क्राइम।

03. का0 अजय कुमार यादव थाना साइबर क्राइम।

04. का0 महेन्द्र पाल थाना साइबर क्राइम।

05. का0 अंकुर गुप्ता थाना साइबर क्राइम।

06. म0आ0 प्रीती कौशल थाना साइबर क्राइम।
07. म0आ0 अर्चना यादव थाना साइबर क्राइम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07-12-2024, संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मनकापुर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 07-12-2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में मनकापुर तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह, प्र0नि0 मनकापुर सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।